राजस्थान सरकार

कार्यालय,प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविधालय,उदयपुर।

कमांक :–मपोउ/लेखा–भौ.स.नी./2011/ दिनांक :–

–: नीलामी सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के विभिन्न भण्डारों के वर्ष, 2009–2010 के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के दौरान धोषित के लिये नकारा/अनुपयोगी सामानों की नीलामी के कार्यवाही दिनांक 07.04.2011 को संस्थान परिसर में प्रातः 12.30 बजे की जानी निर्धारित है। शर्तें इस कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर कार्य दिवस तथा कार्यालय समय में देखी जा सकेगी। उक्त सूचनाऐं इस विभाग की '' वेब–साईट '' www.rajasthan.gov.in 'एवं इस संस्थान की वेब–साईट '' www.womenpolytechnicudr.com पर भी उपलब्ध करायी जा रही है।

नीलामी हेतू निर्धारित आवश्यक शर्तें

1. नीलामी की तिथी 07.04..2011 प्रभावी रहेगी किन्तु अपरिहार्य कारणों से तिथी में परिवर्तिन संशोधन करने/नीलामी कार्यवाही को निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा ।

2. नीलामी हेतू प्रति फर्म को तीनों वर्षो के लिये सम्मिलित कार्यवाही फलस्वरूप उपलब्ध नकारा/अनुपयोगी सामानों की कुल पुस्ताकिंत राशि पर नियमानुसार प्रभावी धरोहर राशि रूपयै 3468/–(अक्षरे तीन हजार चार सौ अडसठ मात्र) नगद में कार्यालय में प्रातः11.00 बजे तक जमा करानी होगी तत्पश्चात ही फर्म को नीलामी में बोली हेतू पात्र माना जायेगा। यह राशि नीलामी कार्यवाही सम्पन्न होने पर नियमानुसार लौटायी जा सकेगीं।

3. सरकारी बोली से अधिकतम बोली लगाने वाली फर्म को ही निर्धारित समस्त भार्तों के आधार पर नीलामी हेतू प्रयुक्त नकारा/अनुपयोगी सामान नीलाम हुआ माना जायेगा।

4. सामान की सम्पूर्ण राशि मोके पर ही संस्थान में जमा करानी आवश्यक होगी। आंशिक भुगतान किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं होगा। सम्पूर्ण राशि के अभाव में सफल फर्म द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि को जब्त कर लिये जायेगा।

5. सस्थान से सामान प्राप्त करने पर सामान में किसी प्रकार की कमी बेशी का दायित्व संस्थान का नहीं होगा।

6. सामान पर लगने वाले '' बिक्री– कर–'' / '' वेट'' का भुगतान सफल फर्म को नियमानुसार वहन करना होगा ।

प्रधानाचार्य
राजकीय महिला पोलि0
महाविधालय उदयपुर।